158-आईटीपीओ(2)/हिअ/2010

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

प्रगति मैदान, नई दिल्ली

7 अगस्त 2014

प रि प त्र सं./61/2014

विषय : - अगस्त 2014 के दौरान विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन

गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन में राजभाषा प्रोत्साहनपरक कार्यकलापों के रूप में अगस्त 2014 के दौरान ***कान्फैंस रूम, प्रगति भवन*** *में* निम्नलिखित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा :-

1. *हिन्दी नोटिंग-ड्राफ्टिंग प्रतियोगिता* — *13 अगस्त 2014* — *प्रात: 11.00 बजे*
   (क) कर्मचारियों के लिए
   (ख) अधिकारियों के लिए
2. *हिन्दी अनुवाद प्रतियोगिता* — *14 अगस्त 2014* — *प्रात: 11.00 बजे*
   (क) कर्मचारियों के लिए
   (ख) अधिकारियों के लिए
3. *हिन्दी टाइपिंग प्रतियोगिता* * — *20 अगस्त 2014* — *प्रात: 11.00 बजे*
4. *हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता* — *22 अगस्त 2014* — *प्रात: 11.00 बजे*
   (क) कर्मचारियों के लिए
   (ख) अधिकारियों के लिए
5. *हिन्दी वर्तनी शोधन प्रतियोगिता* (Spelling) — *27 अगस्त 2014* — *प्रात: 11.00 बजे*
   केवल चतुर्थ श्रेणी वर्ग के कर्मचारियों के लिए
   [चतुर्थ श्रेणी के (एनएफ) अपग्रेडेड सभी इसमें शामिल हैं]

सभी प्रतियोगिताओं में इस वर्ष भी निम्नलिखित नगद पुरस्कारों की व्यवस्था की गयी है :-

	हिन्दीभाषी वर्ग	हिन्दीतरभाषी वर्ग
प्रथम पुरस्कार	1500/- रुपये	2000/- रुपये
द्वितीय पुरस्कार	1250/- रुपये	1500/- रुपये
तृतीय पुरस्कार	1000/- रुपये	1200/- रुपये
प्रोत्साहन पुरस्कार	800/- रुपये	1000/- रुपये

नोट:- जो अधिकारी/ कर्मचारी इन हिन्दी प्रतियोगिताओं में गत दो वर्षों के दौरान लगातार दो बार पुरस्कार ले चुके हैं, उन्हें अगले दो वर्ष तक नगद पुरस्कार नहीं दिया जाएगा किन्तु यदि ऐसा कोई कर्मचारी इस योजना/ प्रतियोगिता में भाग लेता है तो प्रोत्साहन रूप में दी जाने वाली हिन्दी पुस्तकें उसे भी दी जाएगी ।

सभी कर्मचारी अपनी पात्रतानुसार उपर्युक्त सभी प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं। इच्छुक कर्मचारी अपना नाम शीघ्र हिन्दी अनुभाग के पास भेज दें या सीधे प्रतियोगिताओं में भाग लें ।

हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता का विषय बाद में परिचालित किया जायेगा।

** यह प्रतियोगिता हिन्दी अनुभाग में आयोजित की जायेगी।*

मालाभट्टाचार्य
(माला भट्टाचार्य)
वरिष्ठ प्रबन्धक

सभी अधिकारी एवं कर्मचारी

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव
2. कार्यकारी निदेशक के निजी सचिव
3. सभी विभागाध्यक्ष
5. नोटिस बोर्ड

Note2010

158-आईटीपीओ(2)/हिअ/2010

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

प्रगति मैदान, नई दिल्ली
14 अगस्त 2014

परिपत्र

विषय : - अगस्त 2014 के दौरान विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन

उपर्युक्त विषय पर दिनांक 7 अगस्त 2014 के परिपत्र सं./61/2014 के संदर्भ में पुन: सूचित किया जा रहा है कि इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन में अगस्त 2014 के दौरान ***कान्फैंस रूम, प्रगति भवन*** में निम्नलिखित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है :-

1. ***हिन्दी टाइपिंग प्रतियोगिता **** — ***20 अगस्त 2014*** — ***प्रात: 11.00 बजे***
2. ***हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता*** — ***22 अगस्त 2014*** — ***प्रात: 11.00 बजे***
   (क) कर्मचारियों के लिए
   (ख) अधिकारियों के लिए
   निबन्ध का विषय :- औद्योगिकरण और प्रदूषण- समस्या एवं निवारण
3. ***हिन्दी वर्तनी शोधन प्रतियोगिता*** (Spelling) — ***27 अगस्त 2014*** — ***प्रात: 11.00 बजे***
   केवल चतुर्थ श्रेणी वर्ग के कर्मचारियों के लिए
   [चतुर्थ श्रेणी के (एनएफ) अपग्रेडेड सभी इसमें शामिल हैं]

सभी प्रतियोगिताओं में इस वर्ष भी निम्नलिखित नगद पुरस्कारों की व्यवस्था की गयी है :-

	हिन्दीभाषी वर्ग	हिन्दीतरभाषी वर्ग
प्रथम पुरस्कार	1500/- रुपये	2000/- रुपये
द्वितीय पुरस्कार	1250/- रुपये	1500/- रुपये
तृतीय पुरस्कार	1000/- रुपये	1200/- रुपये
प्रोत्साहन पुरस्कार	800/- रुपये	1000/- रुपये

नोट:- जो अधिकारी/ कर्मचारी इन हिन्दी प्रतियोगिताओं में गत दो वर्षों के दौरान लगातार दो बार पुरस्कार ले चुके हैं, उन्हें अगले दो वर्ष तक नगद पुरस्कार नहीं दिया जाएगा किन्तु यदि ऐसा कोई कर्मचारी इस योजना/ प्रतियोगिता में भाग लेता है तो प्रोत्साहन रूप में दी जाने वाली हिन्दी पुस्तकें उसे भी दी जाएगी ।

सभी कर्मचारी अपनी पात्रतानुसार उपर्युक्त सभी प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं। इच्छुक कर्मचारी अपना नाम शीघ्र हिन्दी अनुभाग के पास भेज दें या सीधे प्रतियोगिताओं में भाग लें ।

****** यह प्रतियोगिता हिन्दी अनुभाग में आयोजित की जायेगी।***

माला भट्टाचार्य
(माला भट्टाचार्य)
वरिष्ठ प्रबन्धक

सभी अधिकारी एवं कर्मचारी
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ
1. **अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव**
2. **कार्यकारी निदेशक के निजी सचिव**
3. **सभी विभागाध्यक्ष**
5. **नोटिस बोर्ड**

Note2010

/

158–टीएफ़आई(6)/हिअ/88

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

प्रगति मैदान, नई दिल्ली

23 जून 2014

परिपत्र

राजभाषा विभाग, भारत सरकार के निर्देशों के अनुक्रम में इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन में सरकारी कार्य हिन्दी में करने पर विभिन्न मदों पर प्रतिवर्ष प्रोत्साहन/नगद पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान है। प्रोत्साहन योजना **दिनांक 9 फरवरी 2012 के कार्यालय आदेश संख्या प्रशा./134/2012 एवं दिनांक 09.03.2004 के कार्यालय आदेश संख्या प्रशा./180/2004** के द्वारा पहले ही परिचालित की गयी है। आदेश की प्रति तत्काल संदर्भ हेतु पीछे संलग्न की गई है। उपर्युक्त पुरस्कारों के लिए कर्मचारियों द्वारा 01.01.2013 से 31.12.2013 के दौरान विभिन्न फाइलों/रजिस्टरों आदि में हिन्दी में किये गये मौलिक कार्य के आधार पर प्रविष्टियां आमंत्रित की जा रही हैं।

नोट-दिनांक 23 दिसम्बर 2013 को जारी परिपत्र के अनुसार ऐसा निर्णय लिया गया है कि जो अधिकारी /कर्मचारी इस योजना एवं विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं में लगातार दो बार पुरस्कार ले चुके हैं, उनके नामों पर अगले दो वर्ष तक नगद पुरस्कार हेतु विचार नहीं किया जाएगा किन्तु यदि ऐसा कोई कर्मचारी इस योजना /प्रतियोगिता में भाग लेता है तो प्रोत्साहन रूप में दी जाने वाली हिन्दी पुस्तकें उसे भी दी जाएगी । परिपत्र की प्रति तत्काल संदर्भ हेतु पीछे संलग्न की गई है।

प्रविष्टियां भेजने की प्रक्रिया -- जिस कर्मचारी को उपर्युक्त प्रोत्साहन योजना हेतु अपनी प्रविष्टि भेजनी हो, उसे अपने वरिष्ठ अधिकारी से यह प्रमाण पत्र देना होगा कि उसने ***इस वर्ष (जनवरी-दिसम्बर 2013) के दौरान अपना सम्पूर्ण सरकारी कार्य हिन्दी में ही किया है।***

अथवा

अपना सरकारी कार्य सम्पादित करते हुए *कुल ------ (शब्द संख्या)से भी अधिक शब्द हिन्दी में लिखे हैं।* यह प्रमाण पत्र संबंधित प्रभागाध्यक्ष से भी प्रतिहस्ताक्षरित करवाना होगा। प्रमाण पत्र का नमूना पीछे दिया गया है। *हिन्दी में किये गये कार्य के कुछ पृष्ठ (फोटोकापी) भी साक्ष्य के तौर पर प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करने होंगे।*

ये प्रोत्साहन वार्षिक आधार पर दिये जाते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक कर्मचारी उपर्युक्त प्रक्रियानुसार अपनी ***प्रविष्टि 30.07.2014*** तक हिन्दी अनुभाग के पास भेज दें।

(सुश्री माला भट्टाचार्य)
वरिष्ठ प्रबन्धक

आई टी पी ओ के सभी अधिकारी/कर्मचारी

प्रतिलिपि

4. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव
5. कार्यकारी निदेशक के वैयक्तिक सहायक
6. सभी क्षेत्रीय कार्यालय
7. नोटिस बोर्ड

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

प्रमाणित किया जा रहा है कि श्री/श्रीमती/कुमारी --------------------पद ------------

कर्मचारी संख्या ----- ने -----------------अनुभाग/विभाग में 1 जनवरी से 31 दिसम्बर 2013 के दौरान फाइलों आदि में *अपना सम्पूर्ण कार्य हिन्दी* (देवनागरी) में ही निपटाया ।

( )

प्रबन्धक/उप प्रबन्धक

प्रतिहस्ताक्षरित

( )

विभागाध्यक्ष

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

प्रमाणित किया जा रहा है कि श्री/श्रीमती/कुमारी --------------------पद ------------

कर्मचारी संख्या ------ ने --------------अनुभाग/विभाग में 1 जनवरी से 31 दिसम्बर 2013 के दौरान निपटाये गये कुल सरकारी मौलिक कार्य में ***लगभग* ------------------- *शब्द***

हिन्दी (देवनागरी) में लिखे हैं ।

( )

प्रबन्धक/उप प्रबन्धक

प्रतिहस्ताक्षरित

( )

विभागाध्यक्ष

नोट - कृपया ऊपर दिये गये दो फार्मों में केवल एक ही फार्म का उपयोग करें ।

158-टीएफए(6)/हिअ/88

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

नई दिल्ली, 9 फरवरी 2012

कार्यालय आदेश संख्या प्रशा./ 134 / 2012

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन में हिन्दी भाषा, हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी आशुलिपि की परीक्षा पास करने, इन परीक्षाओं को विशेष योग्यता से पास करने तथा मूल रूप से हिन्दी में काम करने पर प्रोत्साहन योजना दिनांक 03.02.99 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 01/हिअ/99, दिनांक 01.02.2001 के कार्यालय आदेश संख्या 01/हिअ/2001 तथा दिनांक 25 मार्च 2011 के कार्यालय आदेश संख्या प्रशा./244/2011 द्वारा परिचालित की गयी थी जिसमें आंशिक संशोधन किया गया है। संशोधित प्रोत्साहन योजना का विवरण इस प्रकार है:-

1. हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा ली जाने वाली हिन्दी भाषा (प्रबोध, प्रवीण व प्राज्ञ) परीक्षा, हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी आशुलिपि की परीक्षाएं पास करने पर कर्मचारियों को 12 महीने की अवधि के लिए एक वेतनवृद्धि के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन दिया जायेगा।
2. हिन्दी भाषा, हिन्दी टंकण और हिन्दी आशुलिपि की परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर कर्मचारियों को इस प्रकार नकद पुरस्कार दिए जाएंगे :-

पुरस्कार	हिन्दी टंकण	हिन्दी आशुलिपि	हिन्दी भाषा(प्रबोध-प्रवीण-प्राज्ञ)
प्रत्येक को 2400/-रुपये	97% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	95% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	70% या इसके अधिक अंक प्राप्त करने पर
प्रत्येक को 1600/-रुपये	95% या इससे अधिक परन्तु 97% से कम अंक प्राप्त करने पर	92% या इससे अधिक परन्तु 95% से कम अंक प्राप्त करने पर	60% या इससे अधिक परन्तु 70% से कम अंक प्राप्त करने पर
प्रत्येक को 800/-रुपये	90% या इससे अधिक परन्तु 95% से कम अंक प्राप्त करने पर	88% या इससे अधिक परन्तु 92% कम अंक प्राप्त करने पर	55% या इससे अधिक परन्तु 60% से कम अंक प्राप्त करने पर

3. आशुलिपिकों एवं टाइपिस्टों को अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी में आशुलिपि और टाइपिंग का सरकारी कार्य करने पर क्रमशः 100/-रुपये और 75/-रुपये प्रतिमाह विशेष भत्ता दिया जायेगा।

4. सरकारी काम-काज मूल रूप से हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहन - एक केलेण्डर वर्ष में कम से कम 15 हजार शब्द लिखने पर नकद पुरस्कार :-

प्रथम (2 पुरस्कार)	प्रत्येक को 1000/-रुपये
द्वितीय (3 पुरस्कार)	प्रत्येक को 600/-रुपये
तृतीय (5 पुरस्कार)	प्रत्येक को 400/-रुपये

5. हिन्दी में डिक्टेशन देने वाले अधिकारियों को नकद पुरस्कार :-

	हिन्दीभाषी अधिकारी वर्ग	हिन्दीतरभाषी अधिकारी वर्ग
प्रथम (एक पुरस्कार)	1000/-रुपये	1000/-रुपये
द्वितीय (एक पुरस्कार)	700/-रुपये	700/-रुपये
तृतीय (दो पुरस्कार)	500/ रुपये	500/-रुपये
सान्त्वना (दो पुरस्कार)	300/-रुपये	300/-रुपये

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी इन योजनाओं में उत्साह से भाग लें। विस्तृत जानकारी के लिए प्रशासन प्रभाग या हिन्दी अनुभाग से सम्पर्क करें।

माला भट्टाचार्य
(माला भट्टाचार्य)
वरिष्ठ प्रबन्धक

आई टी पी ओ के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी

प्रतिलिपि :

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव
2. कार्यकारी निदेशक महोदय के वैयक्तिक सहायक
3. व.म.प्र. के वैयक्तिक सहायक
4. सभी महा प्रबन्धक एवं समकक्ष अधिकारियों के वैयक्तिक सहायक
5. आई. टी. पी. ओ के सभी क्षेत्रीय कार्यालय

(145)

158-टीएफए(6)/हिअ/88

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

नई दिल्ली, 9 मार्च 2004

कार्यालय आदेश संख्या प्रशा./180/2004

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन में सरकारी कार्य हिन्दी में करने एवं विभिन्न हिन्दी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर देय प्रोत्साहन पुरस्कारों के संबंध में दिनांक 1 फरवरी 2001 के कार्यालय आदेश संख्या 01/हिअ/2001 के अनुक्रम में अपना शत-प्रतिशत सरकारी कार्य हिन्दी में करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन योजना लागू की जा रही है –

अधिकारियों के लिए	3 पुरस्कार	5000 रुपये प्रति पुरस्कार
कर्मचारियों के लिए	5 पुरस्कार	5000 रुपये प्रति पुरस्कार

प्रविष्टियों की पात्रता/चयन प्रक्रिया - जो भी कर्मचारी इस योजना हेतु अपनी प्रविष्टि भेज रहा हो, उस अधिकारी/कर्मचारी को अपने वरीय अधिकारी की ओर से यह प्रमाण-पत्र देना होगा कि उसने समीक्षाधीन अवधि में अपना शत-प्रतिशत सरकारी कार्य हिन्दी में ही किया है तथा यह प्रमाण-पत्र संबंधित प्रभागाध्यक्ष से भी प्रतिहस्ताक्षरित करवाना होगा ।

यह विशेष प्रोत्साहन योजना यह आदेश जारी होने की तिथि से लागू होगी तथा वार्षिक आधार पर दी जाएगी ।

र. चटर्जी

(रंजन चटर्जी)

कार्यकारी निदेशक

आई टी पी ओ से सभी अधिकारी/कर्मचारी

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव
2. कार्यकारी निदेशक के वैयक्तिक सहायक
3. सभी क्षेत्रीय/विदेश कार्यालय
4. कार्यालय आदेश फाइल

158-टीएफए/हिअ(6)/88

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

(हिन्दी अनुभाग)

प्रगति मैदान, नई दिल्ली

दिनांक : 23 दिसम्बर, 2013

परिपत्र

विषयः *सरकारी कामकाज मूल रूप से हिन्दी में करने के लिए इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन में लागू संशोधित राजभाषा प्रोत्साहन योजना ।*

आई टी पी ओ के अधिकारियों /कर्मचारियों द्वारा अपना अधिकाधिक सरकारी कामकाज (नोटिंग-ड्राफ्टिंग, प्रविष्टि तथा अन्य प्रकार के कार्य) हिन्दी में करने हेतु प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की गयी है । योजना की मुख्य-मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :-

योजना का क्षेत्र

यह प्रोत्साहन योजना इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (क्षेत्रीय कार्यालयों सहित) के अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए होगी।

योजना की अवधि

प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष (जनवरी-दिसम्बर) होगी ।

पात्रता

इस प्रोत्साहन योजना में वे सभी अधिकारी /कर्मचारी भाग ले सकेंगे जो अपना अधिकाधिक सरकारी कामकाज (नोटिंग-ड्राफ्टिंग, रजिस्टरों में प्रविष्टियां, लेखा बहियों, सेवा पंजिकाओं में प्रविष्टियां तथा अन्य कार्य जिसका सत्यापन किया जा सके) हिन्दी में करते हैं । अधिकारी /कर्मचारी संलग्न प्रपत्र में अपने कामकाज का लेखा-जोखा रखेंगे और इसे प्रत्येक माह अपने अधिकारी से सत्यापित करवा कर हस्ताक्षर करवाएंगे तथा कैलेण्डर वर्ष(जनवरी-दिसम्बर) के अन्त में अपने विभागाध्यक्ष से प्रतिहस्ताक्षर करवा कर प्रविष्टि विचारार्थ हिन्दी अनुभाग के पास भेजेंगे ।

अब ऐसा निर्णय लिया गया है कि जो अधिकारी /कर्मचारी इस योजना एवं विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं में लगातार दो बार पुरस्कार ले चुके हैं, उनके नामों पर अगले दो वर्ष तक नगद पुरस्कार हेतु विचार नहीं किया जाएगा किन्तु यदि ऐसा कोई कर्मचारी इस योजना/ प्रतियोगिता में भाग लेता है तो प्रोत्साहन रूप में दी जाने वाली हिन्दी पुस्तकें उसे भी दी जाएगी ।

पुरस्कार

इस योजना के अन्तर्गत अपना समस्त सरकारी(100%)कामकाज हिन्दी में करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों प्रत्येक को 5000/-रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा ।

यदि कोई अधिकारी /कर्मचारी निर्धारित मानकों अर्थात (20,000 शब्द प्रति वर्ष) को पूरा नहीं करता है तो ऐसे मामले में शब्दों की संख्या के 50 प्रतिशत के अनुपात में पुरस्कार की राशि को कम कर दिया जाएगा (अर्थात् 10,000 शब्द लिखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के मामले में पुरस्कार राशि घटाकर 2500/-रुपये कर दी जाएगी ।) विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतियोगियों में से नगद पुरस्कारों का चयन करने के लिए बेंच मार्क तय किया है जिसके अनुसार प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार के लिए क्रमश: 50% और 40% अंक प्राप्त करने जरूरी होंगे ।

मूल्यांकन समिति

प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत दिए जाने वाले पुरस्कारों का निर्णय एक मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा । मूल्यांकन समिति में राजभाषा कार्यान्वयन का कार्य देखने वाले वरिष्ठ प्रबन्धक /प्रबन्धक स्तर के अधिकारी तथा प्रशासन प्रभागाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित एक अधिकारी होंगे ।

योजना के अन्तर्गत प्रविष्टियों का मूल्यांकन करने के लिए 100 अंक रखे जाएंगे जिनमें से हिन्दी में किए गए काम की मात्रा के लिए 70 अंक तथा विचारों की स्पष्टता और भाषा शैली के लिए 30 अंक होंगे। हिन्दीतर भाषी प्रतियोगियों को 20 प्रतिशत बोनस अंक दिए जाएंगे।

मूल्यांकन समिति का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा तथा इस संबंध में प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।

यह योजना 1 जनवरी 2014 से लागू की गई है ।

प्रकाश शर्मा

(पी. सी. शर्मा)

वरिष्ठ महाप्रबन्धक

प्रति :

आई टी पी ओ के सभी अधिकारी /कर्मचारी

प्रतिलिपि :

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव
2. कार्यकारी निदेशक के निजी सचिव
3. स्थापना -I /कार्यलय आदेश रजिस्टर
4. नोटिस बोर्ड